सं. 015/ वीजीएल/091
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए, नई दिल्ली
दिनांक : 25.01.2022

परिपत्र संख्या 06/01/22

विषय:- सत्यनिष्ठा संधि अंगीकरण एवं कार्यान्वयन - स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों के पात्रता मानदंड का संशोधन और उन्हें नामित करने की प्रक्रिया।

संदर्भ :
(i) आयोग का दिनांक 03.06.2021 का परिपत्र संख्या 06/05/21
(ii) आयोग का दिनांक 14.09.2021 का परिपत्र संख्या 17/09/21
(iii) आयोग का दिनांक 20.12.2021 का परिपत्र संख्या 23/12/21
(iv) आयोग का दिनांक 25.01.2022 का परिपत्र संख्या 05/01/22

आयोग ने दिनांक 03.06.2021 के एसओपी (सत्यनिष्ठा संधि अंगीकरण एवं कार्यान्वयन हेतु) के पैरा 5.2 द्वारा प्रतिष्ठित व्यक्तियों को स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक के रूप में नामांकित करने हेतु एक पैनल तैयार करने की पात्रता मानदंड निर्दिष्ट की थी। तत्पश्चात, आयोग को मुख्य सतर्कता अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों से पात्रता मानदंड के संबंध में प्रतिक्रिया और सुझाव प्राप्त हुए। उन पर विचार और विश्लेषण करने के पश्चात आयोग ने पात्रता मानदंड का संशोधन करने का निर्णय लिया। सत्यनिष्ठा संधि कार्यान्वयन कार्य का निरीक्षण करने के लिए, आईईएम के रूप में पैनल में शामिल होने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से निम्नलिखित विचारार्थ शामिल होंगे –

(i) वह अधिकारी, जो भारत सरकार के अपर सचिव का पद धारण कर चुके हैं अथवा सेवानिवृति के समय समकक्ष पद या उच्चतर वेतनमान में रहे हैं (भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में सेवा कर रहे हैं)।

(ii) वे व्यक्ति, जो अनुसूची 'क' के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के सीएमडी का पद धारण कर चुके हैं अथवा सेवानिवृति के समय भारत सरकार के अपर सचिव के समकक्ष या उच्चतर वेतनमान में रहे हैं।

(iii) वे व्यक्ति, जो सेवानिवृत्ति के समय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थानों के सीएमडी/एमडी और सीईओ का पद धारण कर चुके हैं।

(iv) किसी संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ऊपर सूचीबद्ध के अतिरिक्त), जो सेवानिवृत्ति के समय भारत सरकार के अपर सचिव के समकक्ष या उच्चतर पद पर रहे हैं।

(v) सशस्त्र बलों के अधिकारी, जो सेवानिवृत्ति के समय भारत सरकार के अपर सचिव के समकक्ष या उच्चतर वेतनमान में थे।

2. इससे अतिरिक्त, आयोग ने निर्णय लिया है कि संबंधित संगठनों में आईईएम के नामांकन का प्रस्ताव संबंधित विभाग द्वारा, जो संगठन में सत्यनिष्ठा संधि के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हो, सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात भेजें। आईईएम के नामांकन का प्रस्ताव अधिमानतः, वर्तमान आईईएम का कार्यकाल पूर्ण होने के 3 माह पूर्व भेजा जाना चाहिए, ऐसा न होने पर आयोग अपने यहां बनाए गये पैनल में से आईईएम को स्वयं नामित करेगा।

3. दिनांक 25.01.2022 के परिपत्र संख्या 05/01/22 द्वारा सत्यनिष्ठा संधि के कार्यान्वयन हेतु एक संशोधित एसओपी जारी की गई है।

ह०/-
(राजीव वर्मा)
निदेशक

(i) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों/स्वायत्त निकायों आदि के सभी मुख्य कार्यपालक
(iii) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों/स्वायत्त निकायों आदि के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी
(iv) केंद्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाइट